संख्या–70/2022/554-24-1-2022-862(बजट)/2014

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 04 मई, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अतिरिक्त राजस्व अनुदान की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक, वित्त, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या–167/अधि0नि0(वित्त)/विप्र–2/आय–व्ययक/2022-23/426, दिनांक 30 अप्रैल, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संख्या–68/2022/001-459-24-1-2022-862(बजट)/22014, दिनांक 21 अप्रैल, 2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या–9 के लेखा शीर्षक- 2801-05-800-05-20 में उदय योजना के अंतर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 2000,00,00,000/- (रूपये दो हजार करोड़ मात्र) के सापेक्ष लेखानुदान अवधि हेतु धनराशि रूपये 666,67,00,000/- (रूपये छः सौ छियासठ करोड़ सढ़सठ लाख मात्र) में से धनराशि रूपये 333,33,50,000/- (रूपये तीन सौ तैतीस करोड़ तैतीस लाख पचास हजार मात्र) को माह अप्रैल, 2022 एवं माह मई, 2022 हेतु धनराशि रूपये 166,66,75,000/- (रूपये एक सौ छियासठ करोड़ छियासठ लाख पचहत्तर हजार मात्र) की दो समान मासिक किस्तों में माह की 15 तारीख के पश्चात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। माह अप्रैल, 2022 की किश्त की धनराशि रूपये 166,66,75,000/- (रूपये एक सौ छियासठ करोड़ छियासठ लाख पचहत्तर हजार मात्र) आहरित की जा चुकी है। अब अवशेष धनराशि रूपये 166,66,75,000/- (रूपये एक सौ छियासठ करोड़ छियासठ लाख पचहत्तर हजार मात्र) को माह मई, 2022 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

(1) उक्त प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

(2) उक्त प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के प्रपत्र संख्या–42जी/शुद्ध पत्र संख्या–426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय–समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-05-उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 166,66,75,000/- (रूपये एक सौ छियासठ करोड़ छियासठ लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 2801058000500 उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फंडिंग **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश पूर्व में कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-10-4-X-2022-23, दिनांक 21-04-2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या-70/2022/554-24-1-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : -

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय वन,सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in